५ रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5
TEN RUPEES दस रुपये

(28)

माननीय न्यायालय म.प्र. राजस्व मंडल ग्वालियर

निग-2443-PBR-16

प्रकरण कं0 /2016 निगरानी

श्री साईमद शाकीर अली आभि० द्वारा उपरोक्त पर प्रस्तुत
22-7-16

22/7/16

1. कंचनबाई पिता दुलीचंद ग्वाला, निवासी मनासा हाल.मु. मंदसौर जिला मंदसौर
2. मंजूबाई पिता दुलीचंदजी ग्वाला निवासी– मनासा जिला नीमच
3. राधाबाई पिता दुलीचंद ग्वाला निवासी– मनासा हाल.मु. प्रतापगढ़

........आवेदकगण

विरूद्व

1. पप्पु पिता दुलीचंदजी घोसी (ग्वाला)
2. बालकृष्ण पिता दुलीचंदजी घोसी (ग्वाला)
3. प्रकाश पिता दुलीचंदजी घोसी (ग्वाला)
4. सीताबाई पति दुलीचंदजी घोसी (ग्वाला)

निवासीगण–मनासा तह. मनासा जिला नीमच

5..सरपंच ग्राम पंचायत सारसी

......अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उपखण्ड– मनासा नीमच जिला नीमच ने प्रकरण क्रमांक 23/अ/15–16 मे दिनांक 21.06.2016 को जो आदेश पारित किया उससे असंतुष्ट होकर

माननीय महोदय,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

01. यह कि, आवेदकगण ने एक अपील न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मनासा जिला नीमच के यहां पर प्रस्तुत की थी। उस अपील के साथ धारा 5 अवधि विधान का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया था। आवेदकगण सगी बहनें हैं तथा अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 आवेदकगण के सगे भाई हैं। तथा अनावेदक कमांक 4 आवेदकगण और अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 की माता हैं। आवेदकगण के पिता तथा अनावेदक क्रमांक 4 के नाम से ग्राम सारसी पटवारी हल्का नंबर 31 तहसील मनासा में सर्वे कमांक 12 पैकी रकबा 0.652 हेक्टर सर्वे कमांक 13/5 पैकी रकबा 0.350 हेक्टर सर्वे कमांक 149/4 पैकी रकबा 0.026 हेक्टर सर्वे कमांक 149/4 पैकी रकबा 0.026 है. सर्वे कमांक 149/4. पैकी

कंचनबाई / पप्पू

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

(22)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R 2443 / PBR / 16 जिला - नीमच

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31.7.19	आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधि. मनासा के प्रकरण क्रमांक 23/35/15-16 में पारित आदेश दिनांक 21-6-16 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर नीमच को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 14.10.19 को कलेक्टर नीमच के समक्ष उपस्थित हों। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	